

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.4(3)साप्र/5/2016

जयपुर, दिनांक: 16.03.2016

आदेश

इस विभाग के आदेश संख्या: एफ.7(2)साप्र/5/20016 दिनांक 27.10.2006 के नियम 7 में ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर में आवासों के आवंटन हेतु पात्रता प्राथमिकता निम्नानुसार संशोधित की जाती है:-

1. राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।
2. राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी।
3. राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी।
4. राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी।
5. अन्य सभी सेवाओं के अधिकारी एवं कर्मचारी वरियतानुसार।

अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। उक्त आदेश बजाजनगर अपार्टमेन्ट आवंटन हेतु भी प्रभावी होंगे तथा तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,


EO

(अजीत कुमार सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आई.डी.संख्या 24/एम/जीएडी/16 दिनांक 04.02.2016 के संदर्भ में।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
8. जिला कलक्टर, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व पथ) जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-3, जयपुर।
11. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
12. प्रबन्धक, विश्राम भवन/ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
13. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
14. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
15. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
16. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
17. रक्षित पत्रावली।


(महेन्द्र कुमार खोसी)
शासन उप सचिव